न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 56/2011 निर्णय दिनांक :– 15.09.2022

उनवानी दावा :

1. दामोदर पुत्र मुन्ना जाति धाकड आयु 41 वर्ष निवासी माधौसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. मसूर पुत्री मन्ना जाति धाकड आयु 41 वर्ष निवासी माधौसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

1. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0
2. राज्य सरकार, जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0

– प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दावा दुरूस्ती इन्द्राज, स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता व गंगाराम पुत्र गणेश धाकड को संयुक्त खातेदारी की आराजीयात साबिक ख0नं0 33 रकबा 3 बीघा 18 बीस्वा, ख0नं0 74 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 76 रकबा 2 बिस्वा गैर मु0 चाह, ख0नं0 88 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 98 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 99 रकबा 7 बिस्वा, ख0नं0 100 रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 120 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, ख0नं0 158 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 242 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 243 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 71 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली स्थित है ओर वादीगण का उपरोक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ओर मौके पर भी वादीगण 1/2 हिस्से पर काबिज है वादीगण के पिता मन्ना का देहान्त हो गया है वादीगण उसके जायज कायम मुकाम वारिस है। वादीगण के पिता व गंगाराम पुत्र गणेश ने सेटलमेंट के दौरान अपनी जमीन का अलग–अलग बंटवारा कर लिया था ओर हाल ख0नं0 62, 67, 68, 90, 91, 120, 130, 158, 349, 414 व 416 कुल किता 11 कुल रकबा 8.85 है0 को तो वादीगण के पिता की खातेदारी में लगा दिया था तथा हाल ख0नं0 61, 66, 92, 121, 122, 130/581, 157, 350, 415, 417 कुल किता 10 कुल रकबा 8.87 है0 को गंगाराम पुत्र गणेश की खातेदारी में लगा दिया गया था उसकी मृत्यु हो

गई है उसके बाद उक्त जमीन को गंगाराम के वारिसान के नाम लगा दिया गया है। साबिक ख0नं0 99 रकबा 7 बिस्वा बंजड प्रथम जमीन वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी में थी ओर बंटवारा होने के बाद उक्त जमीन वादीगण के हिस्से में आयी थी सेटलमेंट से पहले उक्त जमीन वादीगण की खातेदारी में थी लेकिन देवली में हुए हाल ही में उक्त सेटलमेंट में उक्त जमीन को हाल ख0नं0 69 अंकित करते हुए रकबा 0.30 है0 दर्ज कर गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया गया है जबकि उक्त जमीन में से लगभग 9 ऐयर जमीन पर आज भी वादीगण का कब्जा है मौके पर कोई रास्ता नहीं है वादीगण ने अपने खातेदारी के अन्य खेत 67, 68 को मिलाकर 69 ख0नं0 को मिलाते हुए एक खेत बना रखा है जिसके चारो तरफ डोल लगा रखी है। मौके पर वादीगण का 9 ऐयर जमीन पर ही कब्जा है जिसको राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम लगाया जाना आवश्यक था। क्योंकि साबिक जमाबंदी में वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी में 71 बीघा 9 बिस्वा जमीन थी जिसके है0 बनाने पर 17.87 है0 बनते है लेकिन वादीगण व गंगाराम के नाम 17.72 है0 ही जमीन खाते में लगायी गई है 0.15 है0 जमीन खाते में कम लगायी गई है। चूंकि गंगाराम के वारिसान के नाम 0.02 ऐयर जमीन पूर्व में ही ज्यादा खातेदारी देदी गई थी इस कारण 0.15 ऐयर मे से 0.09 ऐयर जमीन की वादीगण खातेदारी लगवाने के अधिकारी है इस कारण यह वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती श्रीमान् की सेवा में पेश है। सेटलमेंट के दौरान बिना किसी न्यायालय के आदेश या सक्षम अधिकारी के आदेश के विवादित जमीन को गै0मु0 रास्ता अंकित कर दिया गया है जो बिल्कुल गलत है। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण को बेदखल करने की धमकी देते है इस कारण उनको जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे स्वयं जरिये ऐजेन्ट, नोकर चाकर के वादीगण को उक्त जमीन से बेदखल नहीं करे ओर पाबंद रहे। उक्त वाद में राज्य सरकार व उसके प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाया गया है तहत कानून दफा 80 सीपीसी का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण वाद बिना नोटिस दिए पेश है धारा 80(2) सीपीसी मय शपथ पत्र अलग से पेश है।

प्रतिवादी गण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार हैः—वाद का चरण नम्बर 1 रिकोर्डेड है। वाद का चरण नम्बर 2 रिकोर्डेड है। वाद का चरण नम्बर 3 आंशिक स्वीकार है। वर्तमान में हाल खसरा नबर 69 रकबा 0.30 है0 गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित है ग्राम पनवाड से नवीन राजस्व ग्राम माधोसिंहपुरा बना है जिसकी राजस्व शीट में से खसरा नम्बर 69 रास्ता दिखाया गया है। उक्त खसरा नम्बर में कब्जे काश्त बाबत कोई दस्तावेजात प्रस्तुत संलग्न वाद नही है जिसमें यह प्रमाणित होता हो कि उक्त खसरा नम्बर में वादी का कब्जा है। वाद का चरण नम्बर 4 स्वीकार नही है। वाद का चरण नम्बर 5 स्वीकार नही है।

तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

19.12

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादीगण ने साक्ष्य शपथ पी. डब्ल्यू–1 पत्र दामोदर पुत्र मन्ना जाति धाकड निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक का पेश किया। शपथ पत्र में वाद के तथ्यो को ही दोहराया गया। दिनांक 10.04.12 को प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः– जमाबंदी संवत 2033–36 प्रदर्श–1 नक्शा शीट प्रदर्श–2 प्रदर्श 3 व 4 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–5 व 6 जमाबन्दी प्रदर्श–7 संवत 2066–69 खाता संख्या 77 व खाता संख्या 52 नक्शा शीट प्रदर्श–8 जमाबन्दी पेश किये है ।

पेरोकार सरकार द्वारा जिरह साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 से निम्न प्रकार हैः–मैं सशपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि विवादित जमीन के नये ख0नं0 69 है। भूप्रबंध से पूर्व इस नं0 9941 जो हमारी खातेदारी का खेत था। जिसमें हम काश्त करते थे और अभी भी काश्त कर रहे है। इसके नये नं0 पर कोई रास्ता नही है। और साबिक नं0 से भी कोई रास्ता नहीं था।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 हुकमा पुत्र भोलू जाति धाकड उम्र 65 साल निवासी दौलता उर्फ माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक का पेश किया जिसमें लगभग वाद के तथ्यो को ही पेश किया।

पेरोकार सरकार द्वारा जिरह साक्ष्य पी. डब्ल्यू–2 से निम्न प्रकार हैः–

मैं सशपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि में वादी व इसके भाई बन्धो को जानता हूँ। इनका विवादित जमीन को मैं जानता हूँ वादीगण व मै एक ही गांव के है। विवादित जमीन में कोई रास्ता वगै नहीं था मैंने कोई रास्ता वगै. नहीं था, मैने कोई रास्ता नहीं देखा। वहां पर मेर है। जिस पर कोई रास्ता नहीं है। मेर के नीचे गडार बनी हुई है से लोग आते जाते है पर मेर भू–प्रबन्ध से पूर्व से ही है और वर्तमान में भी मेर बनी हुई है। रास्ता किसने बन्द किया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मेर एक बेलगाड़ी निकल जाए उतनी चौड़ी है।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने कोई साक्ष्य पेश नहीं करने जाहिर किया। अतः प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने वांद मिमो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण के पिता व गंगाराम पुत्र गणेश धाकड़ की साबिक आराजी कुल किता 11 कुल रकबा 71 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम पनवाड़ तहसील देवली में स्थित थी जिसमें दोनो का हिस्सा बराबर बराबर था और मोके पर काबिज काश्त थे। सेटलमेंन्ट के दोरान वादीगण के पिता व गंगाराम ने अलग अलग बंटवारा कर लिया जिसमें वाद अनुसार कुल किता 11 कुल रकबा 8.85 है0 को तो वादीगण के नाम लगा दिया गया और कुलकिता 10 कुल रकबा 8.87 है गंगाराम पुत्र गणेश की खातेदारी में लगा दिया गया। साबिक ख. नं. 99 रकबा 7 बिस्वा वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी में आयी थी लेकिन सेटलमेंन्ट ने उक्त जमीन के हाल ख. नं. 69 रकबा 0.30

है0 दर्ज कर गै. मु. रास्ता दर्ज कर दिया जबकि उक्त जमीन में से 9 एअर जमीन पर आज भी वादीगण का कब्जा है और मौके पर कोई रास्ता नहीं है। साबिक कुल भूमि 17.87 है0 थी जिसके सेटलमेंन्ट ने कुल रकबा 17.72 है0 बनाया जिसके अनुसार 15 एअर भूमि कम है और वर्तमान में वादीगण के 9 एअर भूमि कम है। सेटलमेन्ट को पूर्व प्रविष्टियों को पूर्ववत दोहराना चाहिए था परन्तु उन्होने कुल भूमि में से 15 एअर कम कर दी और वादीगण के हिस्से में से 9 एअर कम कर दी। वाद को साबिक करने के लिए दोनो नक्शा शीट पेश की है। वाद को डिकी किया जावे।

तनकीवार निर्णयः–

1. **आया वादीगण विवादित आराजी ख. नं. 69 रकबा 0.30 है0 में से 0.09 है0 वाके ग्राम माधोसिंहपुरा तह0 देवली की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्ती बाबत हक रखते है? –वादीगण–**

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था। साबित करने के लिए वादीगण ने प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2033–36 पेश की जिसमें खातेदार गंगाराम पुत्र गणेश कोम धाकड़ व मन्ना पुत्र खाना कोम धाकड़ के नाम साबिक ख. नं. कुल किता 11 कुल रकबा 71 बीघा 9 बिस्वा है। प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 मिलान क्षेत्रफल से वाद वर्णित खसरा नं. बने है। प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2066–69 मन्ना पुत्र खाना कोम धाकड़ सा. देह खातेदार के नाम व मन्ना के फोत होने के बाद उसके पुत्र दामोदर व पुत्री मसूर के नाम विरासत से ख0नं0 62, 67, 68, 90, 91, 120, 130, 158, 349, 414 व 416 कुल किता 11 कुल रकबा 8.85 है0 खातेदारी आयी जो जमाबन्दी में अंकित है। प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत 2066–69 में गंगाराम के वारिसान के नाम ख0नं0 61, 66, 92, 121, 122, 130/581, 157, 350, 415, 417 कुल किता 10 कुल रकबा 8.87 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित हाल ख. नं. 69 रकबा 0.30 है0 साबिक ख. नं. 99 मिन, 97 मिन, 96 मिन, व 95 मिन से बना है। वादीगण अनुसार ख. नं. 69 रकबा 0.30 है0 में से 9 एअर भूमि पर वादी का कब्जा है ओर कोई रास्ता नहीं है जबकि सेटलमेंन्ट ने ख. नं. 69 रकबा 0.30 है. को गै. मु. रास्ता पगडंडिया व चरागाह के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर रखा है। वादी को ख. नं. 69 रकबा 0.30 है0 में वादी 0.09 है0 की खातेदारी घोषित करवाना चाहता है। जिसके लिए नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3 में साबिक ख. नं. 99 रास्ते के रूप में ही दर्शित हो रहा है। ख. नं. 69 साबिक ख. नं. केवल 99 मिन से ही बल्कि साबिक ख. नं. 97 मिन, 96 मिन, व 95 मिन से भी बनाया गया है। सेटलमेन्ट के समय सेटलमेंन्ट अधिकारी मौके की स्थिति देखकर जमीन की किस्म निर्धारित कर ख. नं. व रकबा बनाते थे। हाल नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से भी ख. नं. 69 रास्ते के रूप में दर्शित हो रहा है। साक्ष्य पी. डब्ल्यू–2 ने भी यह माना कि मेर के नीच गडार है जिसमें से लोग आते जाते है। मेर भू–प्रबन्ध से पूर्व से ही है और वर्तमान में भी मेर बनी हुई है। अर्थात यदि मेर है तो इसके नीच गडार

अर्थात रास्ता भी है जिसको सेटलमेंन्ट अधिकारियो ने रास्ता बनाकर कोई त्रुटि नहीं की है। वादीगण ने अपने राजस्व दस्तावेज के द्वारा व साक्ष्य द्वारा कहीं भी यह साबित नहीं किया है कि ख. नं. 69 रकबा 0.30 है0 में से 0.09 है0 पर वादीगण का कब्जाकाश्त है। अतः वादीगण द्वारा राजस्व दस्तावेजो व साक्ष्यो से 9 एअर भूमि पर अपना कब्जा साबित नहीं करने के कारण इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीगण किया जाता है।

2. **आया प्रति. प्रस्तुत वाद न्यायोचित नहीं है?** **–पेरोकार सरकार–**

तनकी नं. 2 को साबित करने का भार पेरोकार सरकार पर था जो तनकी नं. 1 के निर्णय से साबित है। अतः तनकी नं. 2 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकीवार विवेचन, विश्लेषण से विवादित आराजी पर अपना कब्जा साबित नहीं करने व वर्तमान में रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने से वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम देवली

व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक.....................................

उनवानी दावा :

1. दामोदर पुत्र मुन्ना जाति धाकड आयु 41 वर्ष निवासी माधौसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. मसूर पुत्री मन्ना जाति धाकड आयु 41 वर्ष निवासी माधौसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

—वादीगण—

बनाम

1. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0
2. राज्य सरकार, जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0

— प्रतिवादीगण—

<u>दावा दुरूस्ती इन्द्राज, स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>मुकदमा नं. 56 सन् 2011</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

विवादित आराजी पर अपना कब्जा साबित नहीं करने व वर्तमान में रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने से वाद खारिज किया जाता है।

निजी..मुवलिक..बाबत् ....

...........खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 09 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा ....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)..................

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		

उपखण्ड अधिकारी,
देवली (टोंक)

स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान			मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए

10/11/24